

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 12, बुधवार, शाके 1947- सितम्बर 03, 2025 Bhadra 12, Wednesday, Saka 1947- September 03, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 01, 2025

संख्या प.8(1)विधि-2/विरसं.(175)/2023/102 :-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987(1987का अधिनियम संख्याक 39)की धारा 9की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन एतद्वारा करती है जिनकी प्रादेशिक सीमा का क्षेत्राधिकार व बैठक का स्थान क्रमशः कॉलम संख्या 3 व 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र. सं.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	प्रादेशिक सीमा का क्षेत्राधिकार	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,फलौदी	सम्पूर्ण राजस्व जिला फलौदी	फलौदी
2.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,डीडवाना	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीडवाना	डीडवाना
3.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,खैरथल	सम्पूर्ण राजस्व जिला खैरथल	खैरथल
4.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,ब्यावर	सम्पूर्ण राजस्व जिला ब्यावर	ब्यावर
5.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बाड़मेर	सम्पूर्ण राजस्व जिला बाड़मेर	बाड़मेर
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,डीग	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीग	डीग
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,कोटपूतली	सम्पूर्ण राजस्व जिला कोटपूतली	कोटपूतली
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सलूमबर	सम्पूर्ण राजस्व जिला सलूमबर	सलूमबर

नवगठित प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 10 (2) के अनुसार होंगे।

आज्ञा से,

ब्रजेन्द्र जैन,

प्रमुख शासन सचिव,

विधि एवं विधिक कार्य विभाग।

8909

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।